चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 29.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 29.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज(जू0डि0) श्रीमती शैफाली यादव द्वारा आज दिनाँक 29.11.2024 को थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 978/2013 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मूलचन्द्र पुत्र बलराम निवासी भैरमपुरवा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 2300/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं ब्रिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार निषाद पुत्र बाबूलाल निषाद निवासी ग्राम बोधन का डेरा मजरा चांदी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 14 अदद टेट्रा पैक मस्तीहू अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा थाना सरधुवा
2.आरक्षी अतुल मिश्रा
3.आरक्षी राहुल पुरी

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय एवं प्रभारी निरीक्षक मॉनिटरिंग सेल श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/एफटूसी न्यू श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 177/2014 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. मंगी उर्फ दयाशंकर केवट पुत्र सन्तराम 2. सागर उर्फ संतोष केवट 3. छोटू केवट 4. राजा केवट 5. मुन्ना केवट पुत्रगण मंगी केवट उर्फ दयाशंकर निवासीगण गल्ला मण्डी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 05-05 वर्ष का कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 18.03.2014 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री शिववचन सिंह द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में 1. मंगी उर्फ दयाशंकर केवट पुत्र सन्तराम 2. सागर उर्फ संतोष केवट 3. छोटू केवट 4. राजा केवट 5. मुन्ना केवट पुत्रगण मंगी केवट उर्फ दयाशंकर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 177/2014 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री केशव प्रसाद दुबे द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा दिनाँक 12.01.2015 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री अनुराग कुरील द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 154/2015 धारा 307/34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त भोले उर्फ रामगोपाल उर्फ गोप्पा पुत्र चुनकू यादव निवासी ग्राम हर्रा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 10.07.2015 को वादी रामराज पुत्र सूरजदीन निवासी हर्रा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी कि अभियुक्तगणों द्वारा जान से मारने की नियत से तमंचें से फायर करना इस सूचना थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 154/2015 धारा 307/34 भादवि0 पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री राजेश कुमार दुबे द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 29.07.2017 को आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 09.03.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।